



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2009/आष्वण 22, 1931

No. 452]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2009/SRAVANA 22, 1931

स्थान पंचालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 574(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“द्वितीय अनुसूची

(धारा 9 देखिए)

मद संख्या 1 से 9, 11 से 37, 39 और 45 और 47 से 51 पर खनिजों की आदत रॉयल्टी की दरें

1. एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट

(i) एपेटाइट विक्रय मूल्य का पांच प्रतिशत मूल्यानुसार

(ii) रॉक फॉस्फेट

(क) 25 प्रतिशत पी,ओ, से ऊपर विक्रय मूल्य का ग्यारह प्रतिशत मूल्यानुसार

(ख) 25 प्रतिशत पी,ओ, तक विक्रय मूल का छह प्रतिशत मूल्यानुसार

2. ऐस्बेस्टास

(क) क्रिसोटाइट आठ सौ और अस्सी रुपए प्रति टन

(ख) ऐम्पिओल

विक्रय मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार

3. बैराइट्स

विक्रय मूल्य का साढ़े पांच प्रतिशत मूल्यानुसार

4. बॉक्साइट और लैटराइट

(क) एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में प्रयोग के लिए प्रेषित किए गए उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट एल्युमिनियम धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम एल्युमिनियम धातु मूल्य का 0.50 प्रतिशत।

(ख) एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के प्रयोग से भिन्न प्रयोग के लिए तथा निर्यात के लिए प्रेषित किए गए माल के लिए विक्रय मूल्य का पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार।

विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत मूल्यानुसार

5. ब्राउन इल्मेनाइट (त्यूकायक्सीन)

इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकान

विक्रय मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार

6. कैडनियम

विक्रय मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार

7. कैल्साइट

8. चीनी मिट्टी/काओलिन (जिसके अंतर्गत बालबले, श्वेत शैल और श्वेत कले भी हैं)
 (क) अपरिष्कृत
 (ख) प्रसंस्कृत (जिसके अंतर्गत धुली हुई भी है)
9. क्रोमाइट
10. कोयला (लिग्नाइट सहित)
11. कोलमबाइट-टेंटालाइट
12. ताम्र
13. हीरा
14. डोलोमाइट
15. फैल्सपार
16. फायरकले (जिसके अंतर्गत प्लास्टिक, पाइप, लिथोमार्गिक और प्राकृतिक पोजोलेनिक कले भी हैं)
17. प्लूओरेस्पार (जिसे प्लूओराइट भी कहा जाता है)
18. गार्नेट
 (क) अपघर्षक
 (ख) रत (जेम)
19. स्वर्ण
 (क) प्राथमिक
 (ख) उपोत्पाद स्वर्ण
20. ग्रेफाइट
 (क) 40 प्रतिशत या उससे अधिक नियत कार्बन सहित
 (ख) 40 प्रतिशत से कम नियत कार्बन सहित
21. जिप्सम
22. लोह अयस्क : लम्पस फाइन और सभी ग्रेड के सांद्र
23. सीसा
24. चूना पत्थर
 (क) एल. डी. ग्रेड (जिसमें सिलिका की मात्रा डेढ़ प्रतिशत से कम है)
 (ख) अन्य
25. चूना कंकर
26. लाइमशैल
- विक्रय मूल्य का अष्ट प्रतिशत मूल्यानुसार।
 विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार।
- विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार।
- विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार।
- उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट लंदन धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम ताप्रधातु मूल्य का 4.2 प्रतिशत।
- विक्रय मूल्य का 11.5 प्रतिशत मूल्यानुसार।
 तिरसठ रूपए प्रति टन।
- विक्रय मूल्य का कारह प्रतिशत मूल्यानुसार।
- विक्रय मूल्य का कारह प्रतिशत मूल्यानुसार।
- विक्रय मूल्य का साल्हे छह प्रतिशत मूल्यानुसार।
- विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत मूल्यानुसार।
 विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार।
- उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन बाजार संबंध मूल्य (जिसे सामान्यतः 'लंदन मूल्य' कहा जाता है) का दो प्रतिशत।
 वास्तविक रूप से उत्पादित उपोत्पाद स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन बाजार संबंध मूल्य (जिसे सामान्यतः 'लंदन मूल्य' कहा जाता है) का 3.3 प्रतिशत।
- विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत मूल्यानुसार।
- विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत मूल्यानुसार।
- विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत मूल्यानुसार।
- विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार।
- उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम सीसा धातु मूल्य का सात प्रतिशत।
 उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम सीसा धातु मूल्य का 12.7 प्रतिशत।
- बहतर रूपए प्रति टन
- तिरसठ रूपए प्रति टन।
- तिरसठ रूपए प्रति टन।
- तिरसठ रूपए प्रति टन।

27.	मैगेसाइट	विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत मूल्यानुसार।
28.	मैग्नीज अयस्क	
(क)	सभी ग्रेडों का अयस्क	विक्रय मूल्य का 4.2 प्रतिशत मूल्यानुसार।
(ख)	सांद्रण	विक्रय मूल्य का 1.4 प्रतिशत मूल्यानुसार।
29.	अपरिष्कृत अध्रक, अपशिष्ट अध्रक और कतरन अध्रक	विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत मूल्यानुसार।
30.	मोनेजाइट	एक सौ पच्चीस रुपए प्रति टन।
31.	निकल	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट निकल धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय निकल धातु मूल्य का 0.12 प्रतिशत।
32.	ओकर	बीस रुपए प्रति टन।
33.	पाइराइटस	विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत मूल्यानुसार।
34.	पाइरोफिलाइट	विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत मूल्यानुसार।
35.	क्वार्टज	विक्रय मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार।
36.	रूबी	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार।
37.	सिलिका सैड, मोर्टिंग सैड और क्वार्टजाइट	विक्रय मूल्य का आठ प्रतिशत मूल्यानुसार।
38.	भराई हेतु बालू	* *
39.	सैलेनाइट	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार।
40.	सिलीमेनाइट	विक्रय मूल्य का ढाई प्रतिशत मूल्यानुसार।
41.	चांदी	
(क)	उपोत्पाद	वास्तविक रूप से उत्पादित चांदी धातु उपोत्पाद पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय मूल्य का सात प्रतिशत।
(ख)	प्राथमिक चांदी	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय चांदी धातु मूल्य का पांच प्रतिशत।
42.	स्लेट	पैंतालीस रुपए प्रति टन।
43.	टाल्क, स्टीटाइट और सोपस्टोन	विक्रय मूल्य का अठारह प्रतिशत मूल्यानुसार।
44.	टिन	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट टिन धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय टिन धातु मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।
45.	टंगस्टन	प्रति टन डब्ल्यूओ ₃ के प्रति प्रतिशत अयस्क पर बीस रुपए प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर।
46.	यूरोनियम	* * *
47.	वेंडियम	विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत मूल्यानुसार।
48.	वर्माक्यूलाइट	विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत मूल्यानुसार।
49.	वाल्लास्टोनाइट	विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत मूल्यानुसार।
50.	जस्ता	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जस्ता धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय जस्ता धातु मूल्य का आठ प्रतिशत मूल्यानुसार। उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जस्ता धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय जस्ता धातु मूल्य का 8.4 प्रतिशत मूल्यानुसार।
51.	सभी अन्य खनिज जो इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट नहीं हैं। [अगेट, क्ले (अन्य), चाक, कोरण्डम, डायस्पोर, हुनाइट, फेलसाइट, फुस्काइट, केनाइट, क्वार्टजाइट, जस्पर, पेरेलाइट, रॉक साल्ट, शेल पाइरोक्सेनाइट आदि]	
*	कोयला (जिसमें लिङ्गाइट भी सम्मिलित है), से संबंधित मद सं. 10 की बाबत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 522(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007 द्वारा यथापुनरीक्षित स्वामिस्व की दरें तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि कोयला मंत्रालय द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से पुनरीक्षित नहीं की जाती।	

** भराई हेतु बालू से संबंधित मद सं. 38 की बाबत, अधिसूचना सं. स.का.नि. 214(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997 द्वारा यथा संशोधित स्वामिस्व की दरें तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि कोयला विभाग द्वारा एक पृष्ठक अधिसूचना के माध्यम से पुनरीक्षित नहीं की जाती।

*** यूरेनियम से संबंधित मद सं. 46 के संबंध में, अधिसूचना सं. स.का.नि. 96(अ), तारीख 13 फरवरी, 2009 द्वारा यथा संशोधित रायल्टी की दरें तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक संशोधित नहीं की जाती।

टिप्पण : भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित वाद का परिणाम आने तक मद संख्या 10 के सामने विनिर्दिष्ट खानिज को छोड़कर अन्य खानिजों की बाबत पश्चिम बंगाल राज्य के लिए स्वामिस्व दरें वही रहेंगी जो भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं. स.का.नि. 458(अ), तारीख 5 मई, 1987 में निर्दिष्ट हैं।"

[फा. सं. 3/1/2005-खान-6]

अजिता बाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खान और खानिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची को निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा पूर्व में संशोधित किया गया था।

1. सं. स.का.नि. 175(अ), तारीख 31 मार्च, 1975
2. सं. स.का.नि. 407(अ), तारीख 14 जुलाई, 1975
3. सं. स.का.नि. 584(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 1975
4. सं. स.का.नि. 321(अ), तारीख 12 जून, 1978
5. सं. स.का.नि. 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 1979
6. सं. स.का.नि. 67(अ), तारीख 13 फरवरी, 1979
7. सं. स.का.नि. 63(अ), तारीख 12 फरवरी, 1981
8. सं. स.का.नि. 449(अ), तारीख 23 जुलाई, 1981
9. सं. स.का.नि. 458(अ), तारीख 5 मई, 1987
10. सं. स.का.नि. 856(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 1987
11. सं. स.का.नि. 516(अ), तारीख 1 अगस्त, 1991
12. सं. स.का.नि. 100(अ), तारीख 17 फरवरी, 1992
13. सं. स.का.नि. 748(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 1994
14. सं. स.का.नि. 27(अ), तारीख 13 जनवरी, 1995
15. सं. स.का.नि. 214(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997
16. सं. स.का.नि. 713(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2000
17. सं. स.का.नि. 187(अ), तारीख 15 मार्च, 2001
18. सं. स.का.नि. 527(अ), तारीख 16 अगस्त, 2002
19. सं. स.का.नि. 677(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2004
20. सं. स.का.नि. 522(अ), तारीख 1 अगस्त, 2007
21. सं. स.का.नि. 96(अ), तारीख 13 फरवरी, 2009

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2009

G.S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Second Schedule to the said Act, namely :—

In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the Second Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SECOND SCHEDULE

(See Section 9)

RATES OF ROYALTY IN RESPECT OF MINERALS AT ITEM 1 TO 9, 11 TO 37, 39 TO 45 AND 47 TO 51.

1. Apatite and Rock Phosphate :

- (i) Apatite Five per cent of sale price on *ad valorem* basis.
- (ii) Rock Phosphate:
 - (a) above 25 per cent P₂O₅, Eleven per cent of sale price on *ad valorem* basis.
 - (b) upto 25 per cent P₂O₅, Six per cent of sale price on *ad valorem* basis.

2. Asbestos :

- (a) Chrysotile Eight hundred and eighty rupees per tonne.
- (b) Amphibole Fifteen per cent of sale price on *ad valorem* basis

3. Barytes

Five and half per cent of sale price on *ad valorem* basis.

4. Bauxite and Laterite

- (a) Zero point five zero per cent of London Metal Exchange Aluminium metal price chargeable on the contained aluminium metal in ore produced for those despatched for use in alumina and aluminium metal extraction.
- (b) Twenty five per cent of sale price on *ad valorem* basis for those despatched for use other than alumina and aluminium metal extraction and for export.

5. Brown Ilmenite (Leucoxene), Ilmenite, Rutile and Zircon	Two per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
6. Cadmium	Fifteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
7. Calcite	Fifteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
8. China clay/Kaolin (including ball clay, white shale and white clay) :	
(a) Crude	Eight per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
(b) Processed (including washed)	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
9. Chromite	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
10. Coal (including Lignite).	*
11. Columbite-tantalite	Ten per cent. of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
12. Copper	Four point two per cent of London Metal Exchange Copper metal price chargeable on the contained copper metal in ore produced.
13. Diamond	Eleven point five per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
14. Dolomite	Sixty three rupees per tonne.
15. Felspar	Twelve per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
16. Fire Clay (including plastic, pipe, lithomargic and natural pozzolanic clay)	Twelve per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
17. Fluorspar (also called fluorite)	Six point five per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
18. Garnet:	
(a) Abrasive	Three per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
(b) Gem	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
19. Gold:	
(a) Primary	Two per cent of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as "London Price") chargeable on the contained gold metal in ore produced.
(b) By-product gold	Three point three per cent of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as "London Price") chargeable on the by-product gold metal actually produced.
20. Graphite:	
(a) with 40 per cent. or more fixed carbon	Two per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
(b) with less than 40 per cent fixed carbon.	Twelve per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
21. Gypsum	Twenty per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
22. Iron ore: Lumps Fines and concentrates all grades	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
23. Lead	Seven per cent of London Metal Exchange lead metal price chargeable on the contained lead metal in ore produced.
	Twelve point seven per cent of London Metal Exchange lead metal price chargeable on the contained lead metal in concentrate produced.
24. Limestone :	
(a) L.D. Grade (less than one and half per cent silica content)	Seventy two rupees per tonne.
(b) Others	Sixty three rupees per tonne.
25. Lime Kankar	Sixty three rupees per tonne.
26. Limeshell	Sixty three rupees per tonne.

27. Magnesite	Three per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
28. Manganese Ore:	
(a) Ore of all grades	Four point two per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
(b) Concent rates	One point four per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
29. Crude Mica, Waste Mica and Scrap Mica	Four per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
30. Monazite	One hundred and twenty five rupees per tonne.
31. Nickel	Zero point one two per cent of London Metal Exchange nickel metal price chargeable on contained nickel metal in ore produced.
32. Ochre	Twenty rupees per tonne.
33. Pyrites	Two per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
34. Pyrophyllite	Twenty per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis
35. Quartz	Fifteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
36. Ruby	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
37. Silica sand, Moulding sand and Quartzite	Eight per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
38. Sand for stowing	**
39. Selenite	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
40. Sillimanite	Two and half per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
41. Silver :	
(a) By-product	Seven per cent of London Metal Exchange Price chargeable on by-product silver metal actually produced.
(b) Primary silver	Five per cent of London Metal Exchange silver metal price chargeable on the contained silver metal in ore produced.
42. Slate	Forty five rupees per tonne.
43. Talc, Steatite and Soapstone	Eighteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
44. Tin	Seven point five per cent of London Metal Exchange tin metal price chargeable on the contained tin metal in ore produced.
45. Tungsten	Twenty rupees per unit per cent of contained WO ₃ per tonne of ore and on pro-rata basis.
46. Uranium	***
47. Vanadium	Twenty per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
48. Vermiculite	Three per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
49. Wollastonite	Twelve per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
50. Zinc	Eight per cent of London Metal Exchange zinc metal price on <i>ad valorem</i> basis chargeable on contained zinc metal in ore produced.
51. All other minerals not herein-before specified [Agate, Clay (Others), Chalk, Corundum, Diaspore, Dunite, Felsite, Fuschite, Kyanite, Quartzite, Jasper, Perlite, Rock Salt, Shale, Pyroxenite, etc.]	Eight point four per cent of London Metal Exchange zinc metal price on <i>ad valorem</i> basis chargeable on contained zinc metal in concentrate produced. Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.

* Rates of royalty in respect of item No. 10 relating to Coal (including Lignite) as revised *vide* notification number G.S.R. 522 (E), dated the 1st August, 2007, of the Government of India in the Ministry of Coal shall remain in force until revised through a separate notification by the Ministry of Coal.

** Rates of royalty in respect of item No.38 relating to Sand for stowing as revised *vide* notification number G.S.R. 214(E), dated the 11th April, 1997, will remain in force until revised through a separate notification by the Department of Coal.

*** Rates of royalty in respect of item No.46 relating to Uranium as revised *vide* notification number G.S.R. 96(E), dated the 13th February, 2009, will remain in force until revised."

Note: The rates of royalty for the State of West Bengal in respect of the minerals except the mineral specified against item No.10 shall remain the same as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) number G.S.R. 458 (E), dated the 5th May, 1987 till the outcome of litigation pending in the Supreme Court of India."

[F. No. 3/1/2005-MVI]

AJITA BAJPAI PANDE, Jt. Secy.

Note :—The Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was amended earlier vide notification numbers:

1. No. G.S.R. 175(E), dated the 31st March, 1975.
2. No. G.S.R. 407(E), dated the 14th July, 1975.
3. No. G.S.R. 584(E), dated the 13th December, 1975.
4. No. G.S.R. 321(E), dated the 12th June, 1978.
5. No. G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1979.
6. No. G.S.R. 67(E), dated the 13th February, 1979.
7. No. G.S.R. 63(E), dated the 12th February, 1981.
8. No. G.S.R. 449(E), dated the 23rd July, 1981.
9. No. G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987.
10. No. G.S.R. 856(E), dated the 14th October, 1987.
11. No. G.S.R. 516(E), dated the 1st August, 1991.
12. No. G.S.R. 100(E), dated the 17th February, 1992.
13. No. G.S.R. 748(E), dated the 11th October, 1994.
14. No. G.S.R. 27(E), dated the 13th January, 1995.
15. No. G.S.R. 214 (E), dated the 11th April, 1997.
16. No. G.S.R. 713(E), dated the 12th September, 2000.
17. No. G.S.R. 187(E), dated the 15th March, 2001.
18. No. G.S.R. 572(E), dated the 16th August, 2002.
19. No. G.S.R. 677(E), dated the 14th October, 2004.
20. No. G.S.R. 522(E), dated the 1st August, 2007.
21. No. G.S.R. 96(E), dated the 13th February, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 575(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘तृतीय अनुसूची
(धारा 9क देखिए)

अनिवार्य भाटक की दरें

1. कम मूल्य के खनिजों हेतु दिए गए पट्टों पर लागू अनिवार्य भाटक की दरें निम्नानुसार हैं :—

प्रति वर्ष प्रति हैक्टेयर अनिवार्य भाटक की दरें, रुपयों में

पट्टे के दूसरे वर्ष से	तीसरे और चौथे वर्ष	पांच वर्ष से आगे
200	500	1000

2. मध्यम मूल्य के खनिज(जों) के लिए स्वीकृत पट्टे के मामले में पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट दर का दो गुना।
3. उच्च मूल्य के खनिज(जों) के लिए स्वीकृत पट्टे के मामले में पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट दरों का तिगुना।
4. बहुमूल्य धातु और पत्थरों (रत्नों) के लिए स्वीकृत पट्टे के मामले में पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट दरों का चाँगुना।

टिप्पणी :

1. इस अधिसूचना के प्रयोगन के लिए—
 - (क) “बहुमूल्य धातु और पत्थरों” से स्थर्ण, चांदी, हीरा, माणिक्य, सैफायर और इमरेल्ड अभिप्रेत हैं।
 - (ख) “उच्च मूल्य खनिज” से अर्ध कीमती पत्थर (रत्न) (अगेट, जेम, गारनेट) कोरण्डम, तांबा, सीसा, जस्ता, ऐस्केस्टोस (क्रोइसोटाइल किम्म) और अप्रक अभिप्रेत हैं।
 - (ग) “मध्यम मूल्य खनिज” से क्रोमाइट, मैनीज, अथस्क, क्यानाइट, सिलिमेनाइट, वर्मिकुलाइट, मैग्नेसाइट, वाल्लास्टेनाइट, पेरलाइट, डायस्पोर, ऐपेटाइट, रॉक फास्फेट, फ्लोराइट (फ्लुओरस्पार) और बेराइट्स अभिप्रेत हैं।
 - (घ) “कम मूल्य खनिज” से बहुमूल्य धातुओं और पत्थर (रत्न), उच्च मूल्य खनिजों और मध्यम मूल्य खनिजों से फिल खनिज अभिप्रेत हैं।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय में सौंचित वाद के परिणाम तक परिषदीय बोर्ड राज्य के लिए अधिकार्य भाटक की हरें वही रहेंगी जो भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं. स.का.नि. 458(अ), तारीख 5 मई, 1987 में घोषित हैं।"

[फा.सं. 3/1/2005-खान-6]

अजिता बाजपेयी पांडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की तृतीय अनुसूची को निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा पूर्व में संशोधित किया गया था :

- | | |
|--|--|
| 1. सं. स.का.नि. 458(अ), तारीख 5 मई, 1987 | 4. सं. स.का.नि. 714(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2000 |
| 2. सं. स.का.नि. 856(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 1987 | 5. सं. स.का.नि. 678(अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2004 |
| 3. सं. स.का.नि. 214(अ), तारीख 11 अप्रैल, 1997 | |

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2009

G.S.R. 575(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes, the following amendments to the Third Schedule to the said Act, namely :—

In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the Third Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:

"THIRD SCHEDULE

(See Section 9A)

RATES OF DEAD RENT

1. Rates of dead rent applicable to the leases granted for low value minerals are as under :

Rates of dead rent in rupees per hectare per annum

From second year of lease	Third year and fourth year	Fifth year onwards
200	500	1000
2. Two times the rate specified in paragraph 1 in case of lease granted for medium value mineral(s).		
3. Three times the rates specified in paragraph 1 in case of lease granted for high value mineral(s).		
4. Four times the rates specified in paragraph 1 in case of lease granted for precious metals and stones.		

Note :

1. For the purpose of this notification,—
 - (a) "precious metals and stones" means gold, silver, diamond, ruby, sapphire and emerald;
 - (b) "high value minerals" means semi-precious stones (agate, gem garnet), corundum, copper, lead, zinc, asbestos (chrysotile variety) and mica;
 - (c) "medium value minerals" means chromite, manganese ore, kyanite, sillimanite, vermiculite, magnesite, wollastonite, perlite, diaspore, apatite and rock phosphate, fluorite (fluorspar) and barytes ;
 - (d) "low value minerals" means minerals other than precious metals and stones, high value minerals and medium value minerals.
2. The rates of dead rent for the State of West Bengal shall remain the same as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) number G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987 till the outcome of pending litigation in the Supreme Court of India."

[F. No. 3/1/2005-MVI]

AJITA BAJPAI PANDE, Jt. Secy.

Note :—Third Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was amended earlier, vide notification numbers:

1. No. G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987.
2. No. G.S.R. 856(E), dated the 14th October, 1987.
3. No. G.S.R. 214(E), dated the 11th April, 1997.
4. No. G.S.R. 714(E), dated the 12th September, 2000.
5. No. G.S.R. 678(E), dated the 14th October, 2004.